भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 143

सोमवार, 25 अप्रैल, 2016/ 5 वैशाख, 1938 (शक)

अकार्यशील ईपीएफ खाते

143. श्री टी.राधकृष्णन:
श्री धनंजय महाडीक:
श्रीमती के.मरगथम:
श्री मोहित पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ हिना विजयकुमार गावीत:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री एस.सेल्वाकुमार चिन्नैयन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ईपीएफ खाताधरकों की कुल संख्या कितनी है और कितने खाते प्रचलन में नहीं हैं और इनकी कायिक निधि कितनी है;

(ख) क्या सरकार का गैर-संचालित भविष्य निधि खातों पर ब्याज प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के माध्यम से कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) इस मामले पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वर्ष 2014-15 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) खाता धारकों की संख्या 15.84 करोड़ थी। निष्क्रिय खातों की संख्या से संबंधित विवरण अलग से नहीं रखे जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय राशियाँ 'निष्क्रिय खाते' के रूप में वर्गीकृत की गई हैं जिनमें लगातार 36 माह तक अंशदान प्राप्त नहीं किए गए हैं। तथापि, इन सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखों के अनुसार, 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि में 35,531.39 करोड़ रुपये की राशि निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत की गई है।

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय खातों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध पर हैं।

(ख) और (ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने 29.03.2016 को आयोजित अपनी 212वीं बैठक में निष्क्रिय खाते की परिभाषा में परिवर्तनों का अनुमोदन किया है। तथापि, ईपीएफओ से इस संबंध में कोई प्रस्ताव अब तक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध

श्री टी राधकृष्णन, श्री धनंजय महाडीक, श्रीमती के मरगथम, श्री मोहित पाटिल विजयसिंह शंकरराव, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ हिना विजयकुमार गावीत,श्री दुष्यंत चौटाला,श्री एस सेल्वाकुमार चिन्नैयन द्वारा निष्क्रिय ईपीएफ खातों के संबंध में दिनांक 25.04.2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 143 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निष्क्रिय खातों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	2,818.59
2	बिहार	247.08
3	छत्तीसगढ़	358.62
4	दिल्ली	4,259.94
5	गोवा	187.04
6	गुजरात(दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली सहित)	2,425.61
7	हरियाणा	2,033.14
8	हिमाचल प्रदेश	202.82
9	झारखण्ड	354.70
10	कर्नाटक	4,610.34
11	केरल (लक्षद्वीप सहित)	414.61
12	मध्य प्रदेश	883.46
13	महाराष्ट्र	7,777.01
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	224.38
15	ओड़िसा	658.94
16	पंजाब (संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	1,119.63
17	राजस्थान	503.09
18	तमिलनाडु(पुदुच्चेरी सहित)	2,676.12
19	उत्तराखण्ड	181.86
20	उत्तर प्रदेश	1,862.28
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीरसमूह सहित)	1,732.13
	योग	**35,531.39**